रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा

APP
Crll

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

चौथमल वगैरह बनाम राज सरकार

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, नं० 08 सन् 2026

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | तहसीलदार बांदीकुई के द्वारा अपने पत्रांक 10197 दिनांक 24/12/25 से ग्राम अरानिया की खातेदारी भूमि में प्रार्थी की जाति शुद्ध करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 21/01/2026 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई | |
| 21/01/2026 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण उप० 1 प्रा. पत्र व मौका पर्चा रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने से प्रा. पत्र जाति दुरुस्ती का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। प्रकरण जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई | |

Scanned with OKEN Scanner

# न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्याः–08 / 2026
प्रकरण दर्ज दिनांकः–19.01.2026
प्रकरण निर्णय दिनांक :–21.01.2026

उनवान

1. चौथमल
2. मुरारीलाल
3. बंशीधर
4. रामदयाल

} पुत्र श्रीनारायण जाति जांगिड निवासी अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई।

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

प्रार्थीगण द्वारा राजस्व कैम्प अरनियां में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण को ग्राम अरनियां के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि खाता संख्या पुराना 303 नया 305 में जाति खाती अंकित है, जो सही है। जबकि खाता संख्या पुराना 302 नया 304 में जाति खाती के स्थान पर महाजन कर रखा है। श्रीमान जी महाजन जाति में चौथमल, मुरारीलाल, बंशीधर, रामदयाल पुत्र श्रीनारायण नाम के व्यक्ति है ही नहीं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हम चारों भाइयों के राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या पुराना 302 एवं नया 304 में अंकित जाति महाजन के स्थान पर जाति खाती (जांगिड) अंकित करवाने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार बांदीकुई एवं उपतहसीलदार देलाडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से अवगत कराया है कि ग्राम अरनिया की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता सं. 304 के ख. न. 2219 रकबा 0.19 है० किस्म गै.मु.चाह में प्रार्थियान चौथमल मुरारीलाल बंशीधर रामदयाल पि. श्रीनारायण की जाति महाजन दर्ज है तथा खाता सं. 305 में प्रार्थियान की जाति खाती दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रार्थियान की सही जाति जांगिड है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थियान की जाति जागिंड की जावे। ग्राम अरनिया की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता सं. 304 के ख. न. 2219 रकबा 0.19 है० किस्म गै. मु.चाह में खातेदार चौथमल मुरारीलाल बंशीधर रामदयाल पि. श्रीनारायण हि.1ध12 जाति महाजन दर्ज रिकार्ड है। रामदयाल पुत्र श्रीनारायण की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थियान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका मूलनिवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत अरनिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थियान के नाम के आगे जाति जांगिड अंकित है। प्रार्थियान के पिता श्रीनारायण के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी जाति जांगिड दर्ज है। उपतहसीलदार देलाडी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/263 दिनांक 13.11.2025

के द्वारा ग्राम अरनिया के खाता सं. 304 व 305 में उपरोक्त खातेदारान की जाति जांगिड शुद्ध करने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी को सुना गया एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से राजस्व जमाबंदी में प्रार्थीगण की जाति महाजन सहवन से कारित होना प्रतीत होता है जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम रामकिशन है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। स्वयं प्रार्थीगण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश है कि ग्राम अरनिया की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या पुराना 302 नया 304 के ख0नं0 2219 रकबा 0.19 है0 में प्रार्थीगण की जाति खाती (जांगिड) किया जावें। तहसीलदार बांदीकुई तदअनुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner